

SHEET NO.03/15

BLOCK- B1,B2,B3 & B4

Floor Wise Built-up Area & F A R Area

FLOOR WISE	PER FLOOR BUILT-UP AREA	PER FLOOR F A R AREA
GROUND FLOOR	150,725sqm.	10,245sqm.
1st FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
2nd FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
3rd FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
4th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
5th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
6th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
7th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
8th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
9th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
10th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
11th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
12th FLOOR	869,465sqm.	669,73 Sqm.
TERRACE FLOOR PLAN	99,215sqm.	
TOTAL	10683.45 X 4= 42733.80sqm.	8047.0 X 4= 32,188 sqm.

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार धारैरिक रूप से विकसाम व्यवस्था के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दखा जाये अथवा न कि न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्धनित जंगण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दखा जाये अथवा न कि न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में मलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भावि प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्रावि स्वाभिव का प्रमाण-पत्र गरी मग्ना जायेगा। शेर न ही इससे किसी के स्वाभिव सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होमे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के परिषद दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्रशानगत प्रमाण पत्र" अनिवारि प्रमाण पत्र आयेदक द्वारा प्राप्त किया जागा अधिवारि होगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

वेड लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सीर उगाओ से पानी गये करमे का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Rain Water Harvesting Urge Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

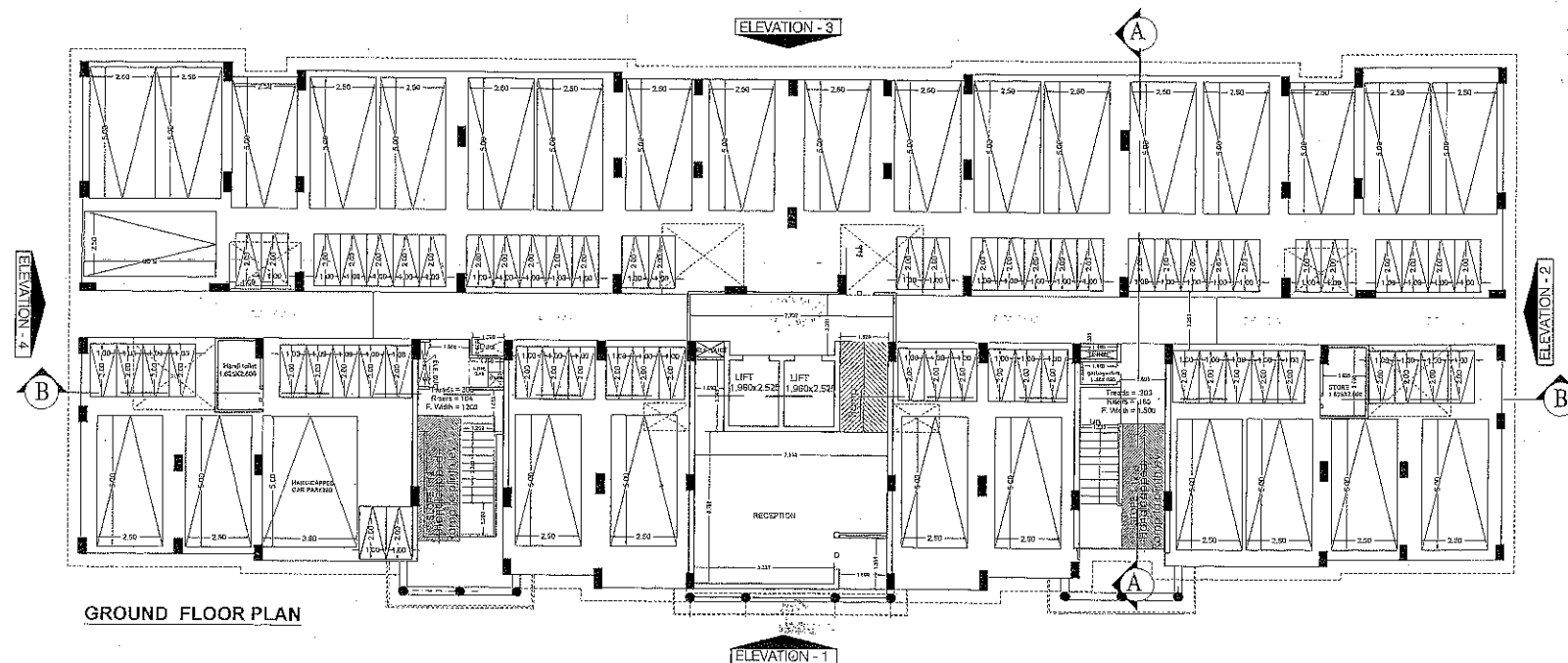
Parking Area Will Be UTI's Property

"करी किये गये अनुमोदित मान-चित्र में दखी गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दखिल प्रथी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE



FRONT ELEVATION MKD-1



GROUND FLOOR PLAN

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi, ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- STILT FLOOR PLAN & FRONT ELEVATION (MKD-1)

SCALE- 1:100

BLOCK- B1,B2,B3&B4 RESIDENCE

NORTH

variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD. Authorised Signatory

BISWAJIT SENGUPTA B. Arch, FIA, AIID Regd. Architect : CA/75/386

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee D.A.T. 10.03.17, dated One Set of Building Plans Approved is issued Along With Letter No. 2357-10.03.17, 2.1.18

SIGNATURE OF AUTHORITY

SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी (अलवर)

SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS						DESCRIPTION
S.NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CILL LEV.	LIN. LEV.	
	D	1.639	2.100	0.00	2.100	
	D1	810	2.100	0.00	2.100	
	W2	750	2.100	0.00	2.100	
	SD	2.600	2.250	0.00	2.250	
	SD1	2.600	2.300	0.150	2.350	
	W1	1.525	1.600	0.750	2.350	
	W2	0.700	1.600	0.750	2.350	
	WD	3.80	1.900	1.050	2.350	
	W4	800	0.900	1.450	2.350	

नगर विकास आवास, भिवाडी भवन
विलियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्वया १० ३० आस द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध निवादासुर कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम २००० की धारा ८.१५ के द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वधा नं० दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निजमानुर कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मागधित्र का अनुसोदन किसी भी भाँति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाथित होंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पाहना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'पर्यावरण प्रमाण पत्र' अनापूर्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग कोशल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बंढाओ

सीढ़ ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

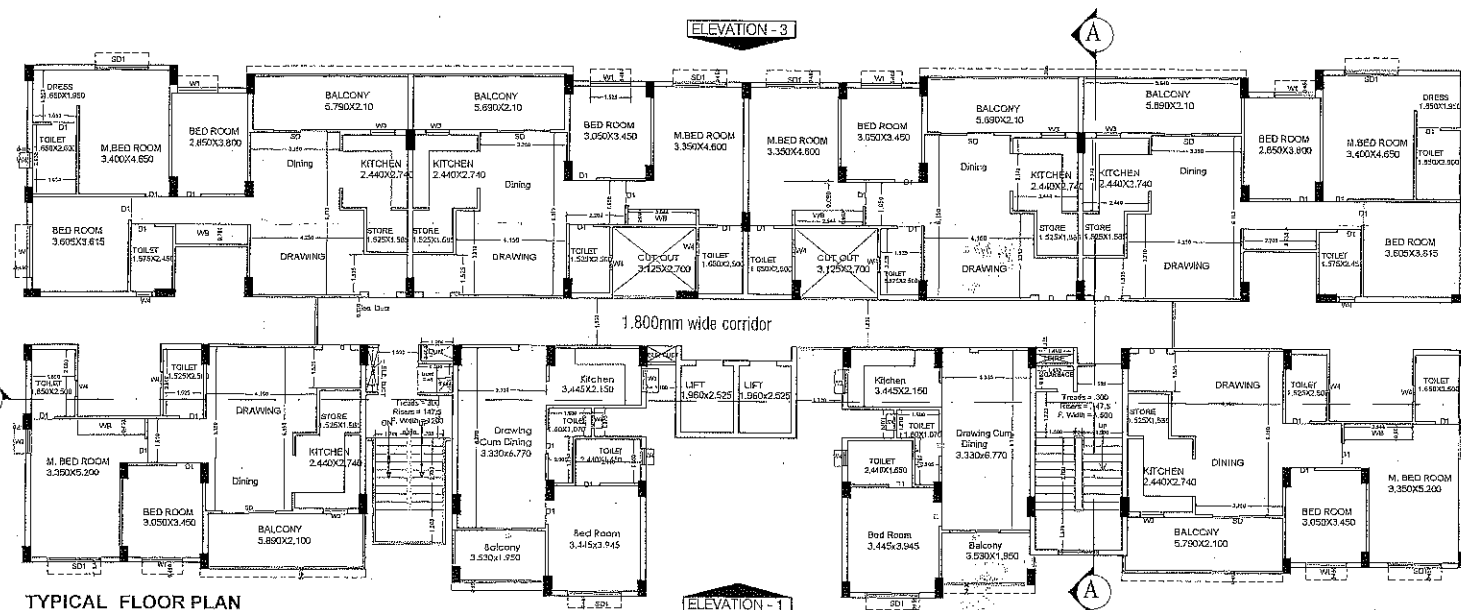
Parking Area Will Be UTP's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

[illegible]

REAR ELEVATION MKD-3



TYPICAL FLOOR PLAN
(1st to 12th floor)

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- TYPICAL FLOOR PLAN
& REAR ELEVATION (MKD-3)

SCALE- 1:100

**BLOCK-
B1,B2,B3&B4
RESIDENCE**

NORTH

variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD

Authorised Signatory

4n Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 27.10.2017, 61d/
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 8959-60, Dt. 15.01.2018

Biswajit Sengupta
(BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIAA, AIID
Regd. Architect : CA/75/884

SIGNATURE OF AUTHORITY	SIGNATURE OF ARCHITECT
------------------------	------------------------

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भियाडी

वरिष्ठ जगार नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

SHEET NO.06/15

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तिवर प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध विद्यमान कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गवत्त संरक्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध विद्यमान कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में मलकरी एवं, बल, मल, निकाल अग्न शक्ति आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्तता भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के सामाजिक सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होने।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi, ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara, Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- SIDE ELEVATIONS
& SECTION ON A-A

SCALE- 1:100

**BLOCK-
B1,B2,B3&B4
RESIDENCE**

NORTH
variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD.
Authorized Signatory

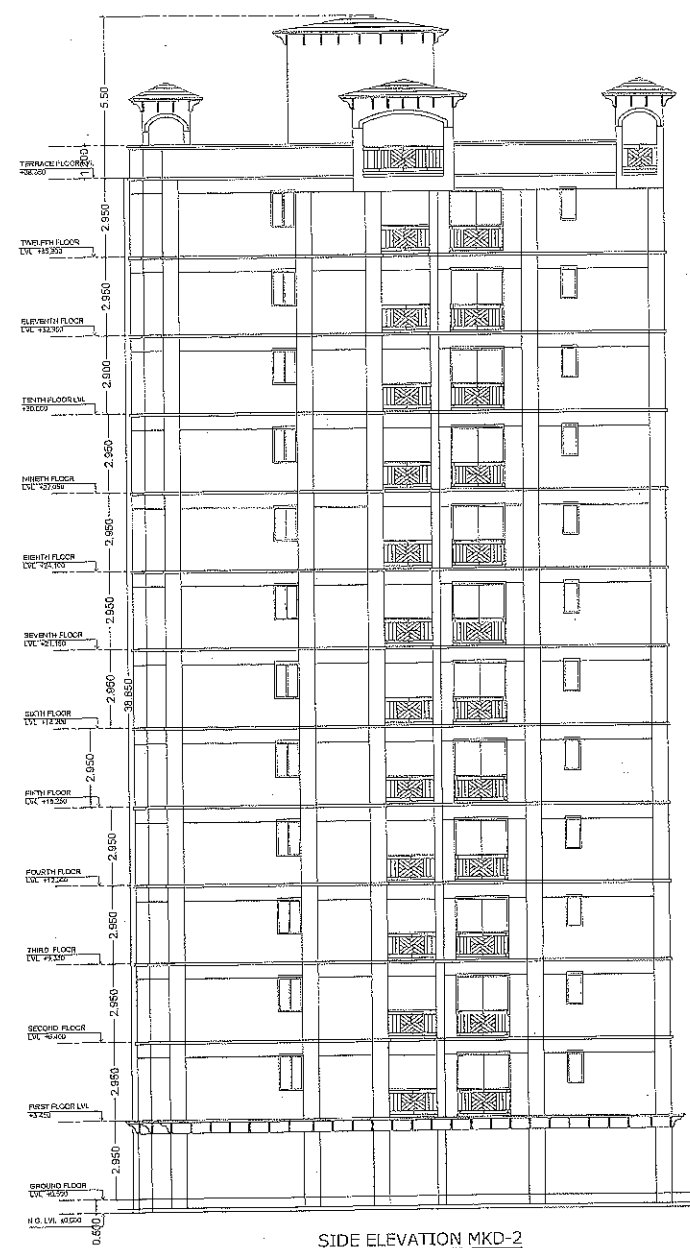
In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt.27.10.2017, 6/1/18
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No.8253-68 Dt.15.01.2018

SIGNATURE OF AUTHORITY

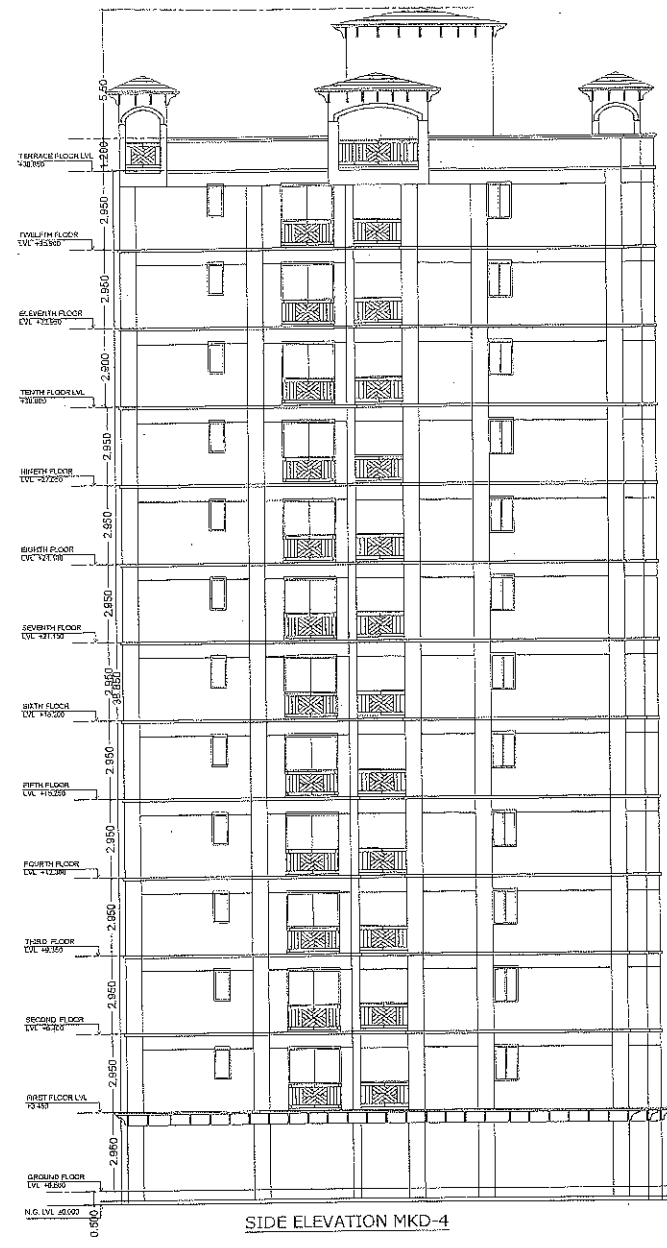
SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

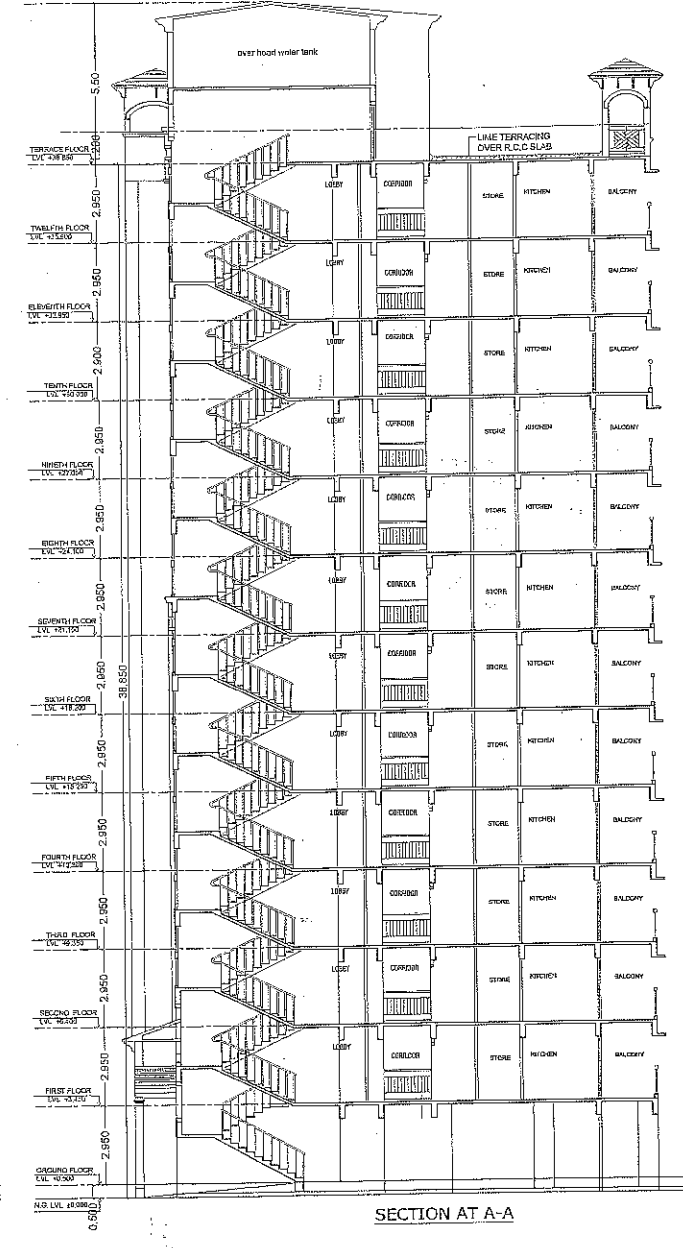
परिच नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (भलवरी)



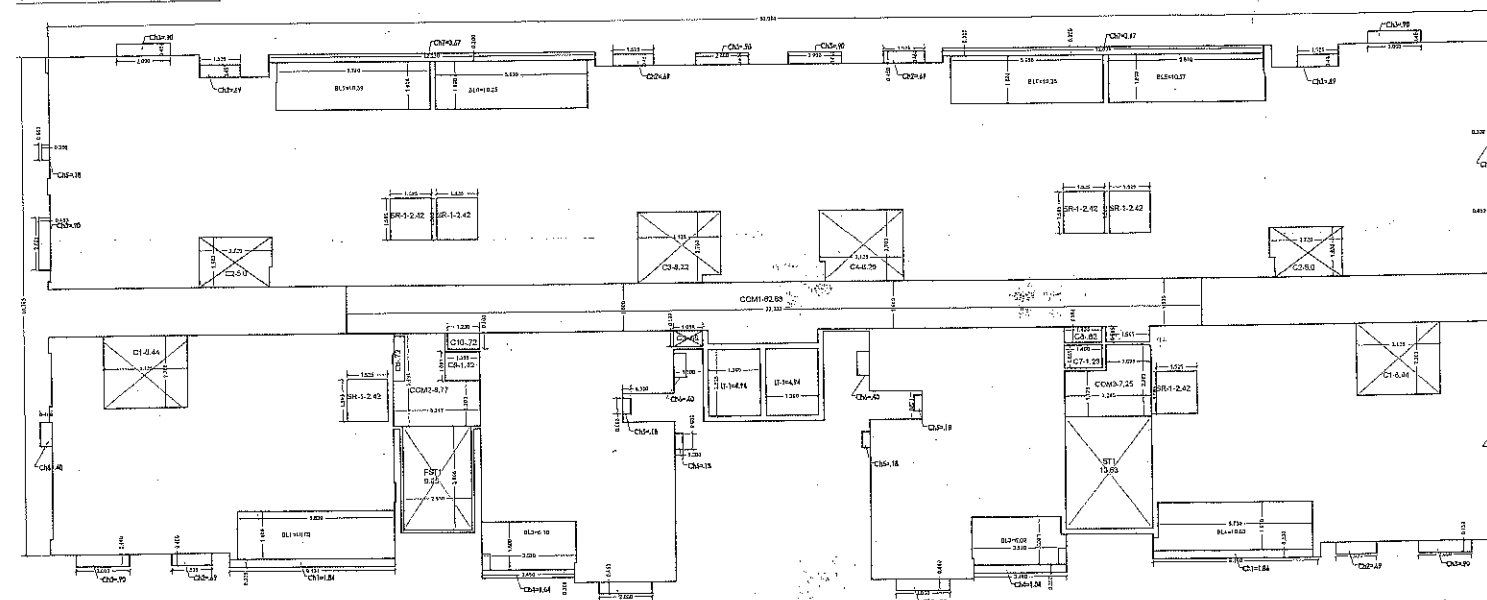
SIDE ELEVATION MKD-2



SIDE ELEVATION MKD-4



SECTION AT A-A



AREA DIAGRAM TYPICAL FLOOR PLAN

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
निवमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Planning and Construction Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये
गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE)
का समित प्रमाण का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE